

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अनुसचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
और विभागाध्यक्ष
उ०प्र० लखनऊ।

वन एवं वन्यजीव अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक

03 दिसम्बर 2018

विषय :-

जनपद बांदा में नरैनी से कालींजर तक सड़क के किमी० 35.00 से 60.825 तक तथा कालींजर-बघेलाबारी सड़क के किमी० 0.00 से 1.50 तक फोर लेन निर्माण कार्य हेतु कुल 31.58 हे० संरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 1914 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, अलीगंज लखनऊ के पत्र संख्या-8बी/यूपी/06/76/2018/एफसी/493 दिनांक 02.11.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विषयगत प्रकरण में मक डिस्पोजल से सम्बंधित आपत्तियों का निराकरण कर संशोधित सूचनायें मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ के पत्र सं०-1030/11-सी-एफपी/यूपी/रोड/25036/2017 दिनांक 16.11.2018 द्वारा कमियों का निराकरण कर संशोधित सूचनाएं/अभिलेख शासन को उपलब्ध करायी गई है।

2- इस सम्बंध में पत्र दिनांक 16-11-2018 के साथ उपलब्ध करायी गयी आख्या को प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विषयगत प्रकरण में Muck Disposal Management Plan का पुनः परीक्षण कर आख्या शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:- यथेपरि।

भवदीय

mukund
(मनोज कुमार सिंह)
अनुसचिव